

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग**

क्रमांक:- प.18(1) सा.प्र./4/2013 पार्ट II

जयपुर, दिनांक 13/01/16

- प्रबंधक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान ।
- प्रबंधक, ट्रांजिट होस्टल, गांधीनगर, जयपुर ।
- प्रबंधक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/  
स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।

**विषय:-** विश्राम भवनों की बकाया के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विश्राम भवन में निम्नांकित सदस्यों के नाम से यदि कोई बकाया है, तो अवगत करावें:-

- श्री रामस्वरूप कसाना, पूर्व संसदीय सचिव
- श्री कन्हैया लाल झंवर, पूर्व विधायक (नोखा)
- श्री ताराचन्द भगोरा, पूर्व विधायक

उपरोक्त सदस्यों के विरुद्ध आपके विश्राम भवन से यदि कोई राशि बकाया है, तो 07 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से सूचित करें। उक्त अवधि में बकाया की सूचना प्राप्त नहीं होने पर यह माना जावेगा कि उपरोक्त सदस्यों के विरुद्ध आपके विश्राम भवन से कोई राशि बकाया नहीं है तथा ऐसी स्थिति में उन्हें अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। अदेयता प्रमाण—पत्र जारी करने के पश्चात् यदि कोई राशि बकाया रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(शंकर सिंह मनोहर )  
अनुभागाधिकारी